पत्र संख्या-9/पें०(6)-02/2018   481/वि.से.
झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)

प्रेषक,

सतेन्द सिंह,
सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी आयुक्त/उपायुक्त/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी पुलिस अधीक्षक,
सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सभी सिविल सर्जन पदाधिकारी,
सभी ई० पेंशन नोडल पदाधिकारी,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी,
झारखण्ड ।

प्रधान महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक 13.08.19

विषयः- दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सप्तम् केन्द्रीय वेतन आयोग के आलोक में गठित फिटमेन्ट कमिटि की अनुशंसा आलोक में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 35/वि० दिनांक 22.02.2019 संसूचित है । उक्त संकल्प की कंडिका 8 के द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कर संशोधित पेंशन अदायगी आदेश निर्गत करने का दायित्व महालेखाकार कार्यालय, राँची, झारखण्ड को दिया गया है ।

संकल्प संख्या 35/वि० दिनांक 22.02.2019 के आलोक में पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के लाभ हेतु निम्न प्रक्रिया का गठन किया गया है :-

(क) दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत गैर राजपत्रित सरकारी सेवक जिनका वेतन पूर्जा महालेखाकार से निर्गत होता था, वे विहित प्रपत्र (संलग्न) में आवेदन, P.P.O की प्रति एवं वेतनपुर्जा की छायाप्रति/ऑडिट संख्या के साथ सीधे

Scanned by CamScanner

(विहित प्रपत्र पेंशन पोर्टल में "Download" से भी प्राप्त किया जा सकता है ।)

(ख) दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त ऐसे राजपत्रित सरकारी सेवक जिनका वेतन पूर्व वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग से निर्गत होता था तथा शेष सेवानिवृत्त अराजपत्रित सरकारी सेवक अपने अंतिम पदस्थापन कार्यालय के D.D.O से संपर्क करेंगे ।

ऐसे मामलों में D.D.O का निम्न दायित्व होगा :-

(i) वांछित जानकारी संबंधित सेवानिवृत्त सरकारी सेवक से प्राप्त कर जानकारी का मिलान कार्यालय में संधारित अभिलेख से करते हुए Pension Portal में D.D.O Login एवं Password के माध्यम से Login कर ऑनलाईन प्रपत्र भरेंगे ।

(ii) पूर्णतः भरे हुए प्रपत्र का प्रिंटऑउट निकाल कर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का हस्ताक्षर एवं स्वंय का हस्ताक्षर अंकित कर अंतिम वेतन व वेतनमान संबंधी उपलब्ध साक्ष्य; P.P.O की छायाप्रति, यदि पूर्व में पेंशन पुनरीक्षित हुआ हो तो पुनरीक्षित पेंशन का प्राधिकार पत्र की छायाप्रति एवं सेवा पुस्तिका मूलरूप में संलग्न कर महालेखाकार कार्यालय को अग्रसारित करेंगे ।

(iii) ऑनलाईन प्रपत्र भी महालेखाकर कार्यालय को अग्रसारित करेंगे । पेंशनर से प्राप्त आवेदन को 15 दिनों के अन्दर ऑन लाईन महालेखाकार को प्रेषित कर देंगे ।

(ग) महालेखाकार कार्यालय ऑनलाईन के साथ ऑफलाईन प्राप्त आवेदन की समीक्षा कर संशोधित पेंशन अदायगी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे ।

(घ) महालेखाकार कार्यालय द्वारा संशोधित पेंशन अदायगी आदेश की प्रति संबंधित कोषागार एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को डाक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही पेंशन पोर्टल में भी Upload कर दिया जायेगा ।

(ङ) ऑनलाईन प्रपत्र भरने इत्यादि कठिनाईयों की स्थिति में PMU कोषांग, योजना सह वित्त विभाग से संपर्क स्थापित कर निराकरण किया जा सकता है ।

विश्वासभाजन

(सतेन्द्र सिंह)

सचिव (व्यय) ।

Scanned by CamScanner

(167)

पेंशन और पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु आवेदन प्रपत्र

(01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्/मृत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनधारियों के प्रयोग हेतु)

पत्रांक :–

दिनांक :–

प्रेषक :–

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0) झारखण्ड
रॉची–834002

विषय :– श्री/श्रीमती (सेवा निवृत/मृत सेवक का नाम) धारक पी0पी0ओ0 सं0 के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में ।

महाशय,

योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) ,झारखण्ड सरकार संकल्प ज्ञापांक :–9/पें0 (6)-2/2018...35/वि0 दिनांक 22/02/2019 के आलोक में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी सेवक के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण कर संशोधित पेंशन प्राधिकार पत्र निर्गत करने हेतु निम्न सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा रही है :–

1. पी0पी0ओ0 संख्या :–
2. पेंशन की श्रेणी:–
   ☐ वार्धक्य सेवा निवृति पेंशन ☐ स्वैच्छिक सेवा निवृति पेंशन ☐ अनिवार्य सेवा निवृति पेंशन ☐ पारिवारिक पेंशन ☐ अन्य
3. सेवानिवृत/मृत सरकारी सेवक का नाम (हिन्दी में) :–
   (अंग्रजी में) :-
4. पदनाम (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) :–
5. अंतिम पदस्थापन कार्यालय (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) :–
6.

जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	सेवा निवृति की तिथि	मृत्यु की तिथि

7. शुद्ध अर्हक सेवा :–
8. परिवारिक पेंशनर का नाम (हिन्दी में) :–
   (अंग्रजी में) :-
9. सेवानिवृत्ति के समय
   (i) अंतिम वेतन :–
   (ii) वेतनमान/पे बैंड/ग्रेड पे :–
   (iii) अंतिम मूल पेंशन :–
   (iv) अंतिम मूल पारिवारिक पेंशन का
   (क) वर्द्धित दर :–
   (ख) सामान्य दर :–

9. दिनांक 01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी कर्मियों के लिएं
   (i) 01.01.2006 को वैचारिक वेतन बैंड एंव ग्रेड वेतन :–
   (ii) दिनांक 01.01.2006 को बैंक/कोषागार द्वारा पुनरीक्षित पेंशन–
   (iii) दिनांक 01.01.2006 को बैंक/कोषागार द्वारा पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन–
   (क) वर्द्धित दर :–
   (ख) सामान्य दर :–

10. सरकारी कर्मी एंव उनके पत्नी/पति के मृत्यु की दशा में
   क) पारिवारिक पेंशन प्राप्त करनेवाले का नाम एंव जन्म तिथि :–
   (ख) सरकारी कर्मी के साथ संबंध–

Scanned by CamScanner

166

11. 01.01.2016 को वैचारिक वेतन
   (i) अंतिम वैचारिक वेतन :–
   (ii) वेतनमान का लेवल :–

12 कोषागार का नाम :–

13 पत्राचार का पता (हिन्दी एवं अग्रेजी में):–
ग्राम/मुहल्ला :–
जिला:– डाकघर:– थाना:–
राज्य:– पिन:–

Vill/Mohalla:- Post Office:- Police station:-
Dist.:- State:- Pin code:-

14 आधार सं0 :–
15 सेवानिवृत/मृत सरकारी कर्मी के जी0पी0एफ0 सं0 :–
16 मोबाईल सं0 :–
17 बैंक विवरणी
   (i) बैंक का नाम :–
   (ii) शाखा :–
   (iii) बैंक खाता सं0 :–
   (iv) आई.एफ.एस.सी.कोड:–

अनु0 :– (i) अंतिम वेतन व वेतनमान संबंधी उपलब्ध साक्ष्य ।
(ii) पी0पी0ओ0 बुक की छाया प्रति ।
(iii) यदि पूर्व में पेंशन पुनरीक्षण हुआ हो तो पुनरीक्षित पेशन का प्राधिकार पत्र की छाया प्रति ।
(iv) सेवा पुस्तिका मूल रूप में ।

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का हस्ताक्षर नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदा0 का हस्ताक्षर

टिप्पणी:– (1) वैसे राजपत्रित पदाधिकारी जिनका वेतन पुर्जा प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) झारखण्ड कार्यालय से निर्गत होता था,वे अपना आवेदन पी0पी0ओ0 बुक का पेंशनर प्रति का छायाप्रति एवं वेतन–पुर्जा की छायाप्रति/ऑडिट संख्या के साथ सीधे प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) झारखण्ड कार्यालय को प्रेषित करेंगे ।

Scanned by CamScanner